


गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल की योजना: 2018


मुख्य विशेषताएं:



ग्राहकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आधार:

- ब्याज / बचत नहीं चुकाया जाना या देरी के साथ भुगतान किया जाना
- चेक का नहीं दिया जाना या देर से प्रदान करना
- स्वीकृत ऋण की राशि का न बताना, नियम एवं शर्तें, ब्याज की वार्षिक दर, आदि
- समझौते में बदलाव के लिए नोटिस का प्रदान नहीं किया जाना, शुल्क की वसूली
- अनुबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफलता, ऋण समझौता
- प्रतिभूतियों/ दस्तावेजों को जारी करने में देरी या असफलता
- अनुबंध में पुनर्वास के लिए कानूनी रूप से लागू करना और ऋण समझौता में विफल रहना
- NBFC द्वारा R.B.I. निर्देशिकाओं का पालन नहीं करना
- गाइड लाइन के अनुसार "निष्पक्ष प्रथा के नियमों" का पालन नहीं करना

एक ग्राहक कैसे अपना शिकायत दर्ज कर सकता है:



एक लोकपाल कैसे फैसला ले सकता है ?

- कार्यवाही से पहले लोकपाल के समक्ष सारांश पेश करें ।
- वह आपसी प्रक्रिया द्वारा तथ्य को समाधान कर सकता है। अगर वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो उस परिस्थिति में वह आदेश (Demand) को लागू कर सकता है

अगर वह लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है क्या एक ग्राहक निवेदन कर सकता है ?

हाँ, अगर लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है ये अपील योग्य है...अपील के अधिकारी-Deputy Governor, RBI

नोट:

- यह एक विकल्प विवाद समाधान पद्धति है
- ग्राहक किसी भी अन्य अदालत से संपर्क करने के लिए स्वतन्त्र है। वह किसी संघ या अधिकारी से शिकायत निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं